[illegible]

दिनांक [illegible]

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली अन्तिम निर्णय दिनांक 15–10–19 को पेश हो। तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 15–10–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

प्रार्थी कुन्दनसिंह पुत्र कलुवाराम दत्तक पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी करणपुर तहसील महवा के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 214, 215 कुल किता 2 रकबा 0.81 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 51, 51/621, 75, 77, 98, 103, 128/606, 129/607, 234/636, 245र 312, 313, 314, 314/639, कुल किता 14 रकबा 2.46 हैक्टयर प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है जो बाबा हरफूल के नाम खातेदारी में दर्ज थी। मृतक हरफूल के तीन पुत्र परमाराम, कलुवाराम और बद्री थे जिनमें से बदरी का वर्ष 2001 में देहान्त हो चुका है। मृतक बदरी ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

जीवनकाल में प्रार्थी को दत्तक पुत्र मान लिया तथा अपना वारिस घोषित कर दिया। किन्तु प्रार्थी के शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम कलुवाराम दर्ज कर दिया गया। परताराम की मृत्यु होने पर उनकी पत्नि केसरी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी तथा केसरी ने कलुवाराम के नाम हकत्याग कर दिया। बदरी का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकरण खोलने के लिये वारिस प्रमाण पत्र आदि पटवारी को दिये किन्तु पटवारी हल्का ने प्रार्थी नाबालिग होने के कारण प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोलकर परताराम व कलुवाराम के नाम खोल दिया जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू रिकार्ड में कोई हेरा फेरी नहीं करे इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी के पिता हरफूल के नाम खातेदारी होना व उसके तीन पुत्र परताराम कलुवाराम व बद्री होना स्वीकार है। यह भी सही है कि बद्री का देहान्त वर्ष 2001 में होने पर पगडी भी प्रार्थी सुरेन्द्र के बांधी गयी थी। आगे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये जबाब प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2071-74 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 214, 215 कुल किता 2 रकबा 0.81 हैक्टययर की खातेदारी केसरी बेवा प्रताप हि. 1/4 कलुवाराम पुत्र हरफूल हि. 1/4, सुखराम पुत्र सरवन हि. 13/40 लाखनसिंह भगवानसिंह पि. रघुवीरसिंह हि. 7/40 जाति गूजर सा. देहकी खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 51, 51/621, 75, 77, 98, 103, 128/606, 129/607, 234/636, 245र 312, 313, 314,

[illegible]

[illegible] निस्तारण करने के [illegible] होता है। वर्तमान राजस्व [illegible] नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई [illegible] नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो ,सके कि [illegible] पुत्र है। इसके अलावा यदि [illegible] के हिस्सा की आराजी में कोई अधिकार [illegible] है तो यह दावे में गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावेगा। चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 214, 215 कुल किता 2 रकबा 0.81 हैक्टययर व खसरा नम्बर 51, 51/621, 75, 77, 98, 103, 128/606, 129/607, 234/636, 245१ 312, 313, 314, 314/639, कुल किता 14 रकबा 2.46 हैक्टयर अप्रार्थी सख्या 2 के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)